

21 वाँ वार्षिक प्रगति-प्रतिवेदन

2020-21



सृष्टि सेवा संस्थान

सिनेमा रोड, हनुमानगढ़ी—महाराजगंज, पो. ० व जनपद—महाराजगंज(उप्र०)—273303

ई-मेल : srishtiseva@gmail.com

वेब साइट : www.srishti-india.org



मुख्य कार्यकारी की कलम से.....

समाज में व्याप्त गैर-बराबरी,भेदभाव व भ्रष्टाचार को यदि हम देखें तो इसका मूल कारण यह दृष्टिगत होता है कि लोगों में अपने हक व अधिकार को लेकर जागरूकता का पूर्णतया अभाव है।यदि वंचित समुदाय के लोगों में जानकारी के साथ-साथ जागरूकता का भी संचार हो तभी वे स्व-अभिक्रम करने के लिए प्रेरित होंगे।



स्वयं सेवी संगठन के रूप में हमारा दायित्व बनता है कि समाज के अति वंचित समुदाय के लोगों को आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें उनके हक व अधिकार के प्रति जागरूक कर उन्हें स्व-अभिक्रम के लिए प्रेरित किया जाय।

समाज के अति वंचित समुदाय के लोगों को संगठित कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करना व उनको उनके हक व अधिकार के प्रति संवेदित करना अपने आप में एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।इस प्रक्रिया के तहत हम यदि देखें तो समाज में अति वंचित समुदाय के रूप में महिलाएं,बच्चे,किशोरियाँ तथा समाज में ही जीवन यापन कर रहे विभिन्न प्रकार से भेद-भाव ग्रसित लोगों की एक लम्बी सूची देखने को मिलती है।

हम भेद-भाव का यदि विष्लेषण करें तो हमें देखने को मिलता है,कि जहाँ हम जाति-पात व धर्म के अन्तर्गत भेदभाव देखते हैं,वहीं विभिन्न बीमारियों से संक्रमित(जैसे एच0आई0वी0/एड्स,टी0बी0 व कुष्ठ आदि) लोगों से भेद-भाव की बात की जाती है।

उपरोक्त सभी बातों के आलोक में सृष्टि सेवा संस्थान द्वारा वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत जहाँ एक तरफ महिला सशक्तिकरण,बाल संरक्षण को लेकर प्रयास किया,वहीं किसानों को नई तकनीकी की जानकारी देते हुए उन्हें कम लागत में अधिक उपज करने की जानकारी दी गई। साथ ही साथ समाज में भेद भाव का जीवन व्यतीत कर रहे (जैसे एच0आई0वी0/एड्स,टी0बी0 व कोविड-19 आदि)लोगों के साथ उनके रोकथाम व भेद-भाव रहित जीवन व्यतीत करने की बात भी की गई।

शायद इसका कारण यह भी रहा कि हम विकास की बात तभी सोच सकते हैं जबकि समाज में भेदभाव की स्थिति सामान्य हो सके।

भवतीय-

(सुनील कुमार पाण्डे)
सचिव / मुख्य कार्यकारी



सृष्टि सेवा संस्थान : एक परिचय

संस्था की उत्पत्ति :- सृष्टि सेवा संस्थान, समान सोच, समान विचार धारा एवं समान उम्र के सनमनाओं द्वारा गठित नागर सामाज संगठन है। संगठन उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज मुख्यालय पर स्थित है, जो नेपाल राष्ट्र का सीमापर्वती जनपद है। संगठन एक छोटे समूह के रूप में लघु-सीमान्त वर्ग के हक और अधिकार को लेकर गठित हुआ, जिसका उद्देश्य समाज में असमानता व गैर बराबरी को दूर करते हुए जीने का अधिकार दिलाना रहा है। संगठन का वैधानिक पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860, अधिनियम संख्या-21 के अन्तर्गत हुआ है।

संगठन आयकर अधिनियम 1961 के तहत 12 ए की वैधानिकता पूर्ण कर चुका है, तथा विदेशी विनियम अनुदान अधिनियम 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

विजन :- लोक-केन्द्रित, स्थाई-विकास

मिष्न :- जन सभागिता के आधार पर ऐसे वातावरण का सुजन करना कि लोग अपने हक, अधिकार, कर्तव्य को जानकर स्वयमेव आगे आकर विकास की धारा से जुड़ सकें।

आदर्श :- पारदर्शिता, जवाबदेही, आचरण की शुद्धता, समय पालन।

लक्ष्य समूह :- महिलायें, बच्चे एवं किसान।

मुद्रदे :- महिला सशक्तिकरण, आजीविका एवं बाल संरक्षण।

कार्यनीति :- संगठन निर्माण, नेतृत्व विकास, शोध, प्रशिक्षण व प्रचार-प्रसार भावी दृष्टिकोण:-

१ संस्था की पहचान समुदाय को सशक्त बनाने वाले संगठन के रूप में होगा।

२ संस्था की पहचान पंचायती राज/अभिशासन के प्रबल समर्थक के रूप में होगा।

३ लोगों का ऐसा प्रबल नेटवर्क विकसित होगा जो लोक-केन्द्रित स्थाई विकास को स्थापित करने में सहायक होगा।

४ लोक-केन्द्रित मुद्रों पर प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्थापित होगा।

मुख्य उद्देश्य :-

- लोगों का संगठनात्मक विकास कर उन्हें उनके हक अधिकार व कर्तव्य के प्रति जागरूक करना।

- नगरीय एवं ग्रामीण निकाय को अभिशासन के प्रति जागरूक कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास करना।

- ग्रामीण एवं नगरीय निकाय के वंचित लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आजीविका एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक एवं जवाबदेह बनाना।

- अन्य विकासीय मुद्रों जैसे महिला एवं बाल अधिकार, कृषि, आपदा प्रबन्धन, प्राथमिक शिक्षा तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर सामाजिक न्याय दिलाना।

वर्तमान प्रयास :-

- ◆ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
- ◆ स्थाई कृषि एवं आजीविका कार्यक्रम
- ◆ एच०आई०वी०/एडस रोकथाम कार्यक्रम
- ◆ बाल संरक्षण कार्यक्रम
- ◆ किशोरी एवं किशोरों के माध्यम से जीवन कौशल विकास
- ◆ कोविड-19 जागरूकता व राहत



प्रगति—विवरण

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत संस्थान द्वारा संस्था द्वारा सामाजिक बदलाव की दिशा में जो प्रयास किया गया, उसका विवरण निम्नवत् है:-

1. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
2. स्थाई कृषि एवं आजीविका कार्यक्रम
3. एचआई0वी0 / एड्स रोकथाम कार्यक्रम
4. बाल संरक्षण कार्यक्रम
5. किशोरी एवं किशोरों के माध्यम से जीवन कौशल विकास
6. कोविड-19 जागरूकता व राहत
7. संस्थागत विकास व अन्य कार्यक्रम

उक्त कार्यक्रम को संचालित करने हेतु संस्थान द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित प्रयास किये गये—

1—संस्थागत कार्यक्रमः—

क—राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन किया गया इसके अन्तर्गत समस्त चारों कार्यालयों पर 15 अगस्त अर्थात् स्वतंत्रता दिवस व 26 जनवरी अर्थात् गणतंत्र दिवस के अवसर ध्वजारोण व मिल्डान वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही संस्थान के प्रबन्ध तंत्र द्वारा सहभागिता कर संस्थान की उपलब्धियों व समस्याओं को जाना गया तथा संस्थान के जिन को देश हित में प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

ख—अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन— महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन दिनांक 08 मार्च 2021 को किया गया। यह कार्यक्रम संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न नारी-संघ से कुल 45 प्रतिभागियों के साथ किया गया। कार्यशाला का मुख्य थीम— “महिला नेतृत्व व कोविड-19 महामारी से बचाव” रही।

उक्त कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती नीलम त्रिपाठी जी उपस्थित रहीं। महिलाओं का विकास में योगदान विषय पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में लेकर रोपाई, निराई, कटाई, मडाई व बण्डारण सभी बिन्दुओं पर पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं, परन्तु किसान के रूप में मायता सिर्फ पुरुषों को ही मिलता है।

इस कार्यक्रम में सर्वोदय सेवा संस्थान के श्री आनन्द मोहन लाल, जागृति सेवा संस्थान श्री संजय लाल व सृष्टि सेवा संस्थान से श्रीमती विजया पाठक, पूजा पासवान, मृणालिनी तिवारी सहित संस्थान के सचिव श्री सुनील कुमार पाण्डेय ने सहभाग किया।

ग—कार्यकर्ता क्षमतावर्धन कार्यक्रम— संस्थान द्वारा संस्थान कार्यदल के क्षमता विकास को लेकर विभिन्न माध्यमों से क्षमता विकास का कार्य किया गया। इस निमित्त संस्थान के सचिव सुनील कुमार पाण्डेय व कार्यकारी सचिव प्रद्युमन पाठक ने निःशुल्क रूप से अपना व्यावसायिक समय देकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया।

घ—विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन— संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष की भौति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण विषय के विभिन्न विशेषज्ञों ने सहभागिता कर लोगों को जानकारी प्रदान करने का कार्य किया गया। प्रतिभागियों को पर्यावरण पर आधारित विभिन्न संदर्भ सामग्री को वितरित कर लोगों को जागरूक करने की बात कही गई।

2—चाईल्ड लाईन कार्यक्रम— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा 0-18 आयु वर्ग के बच्चों के साथ बाल संरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समेंकित बाल संरक्षण कार्यक्रम के तहत चाईल्ड लाईन सब सेन्टर के रूप में नौतनवा, बृजमनगंज, धानी तथा लक्ष्मीपुर विकास खण्ड में हस्तक्षेप 1098 के माध्यम से किया गया। लोगों को चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 के विषय में



जागरूकता प्रदान किया गया तथा साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से चाईल्ड फ्रैण्डली वातावरण का सृजन किया गया। वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत चाईल्ड लाईन के माध्यम से निम्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया गया, विवरण इस प्रकार है:-

क—ओपेन हाउस कार्यक्रम:- इस गतिविधि के अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक स्थलों पर जाकर चाईल्ड हेल्प लाईन-1098 के विषय में जानकारी प्रदान किया गया, साथ ही साथ 1098 का टेस्टिंग काल भी कराया गया। इस गतिविधि के अन्तर्गत पूरे वर्ष में कुल 28 कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ख— सरकारी हितभागियों के साथ विकासखण्ड स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला:- यह कार्यक्रम बृजमनगंज विकास खण्ड में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित किया गया। कार्यशाला में खण्ड विकास अधिकारी, MOIC, BCPM, MOIC, CDPO, ADO पंचायत आदि उपस्थित रहे। कार्यशाला में मुख्य रूप से चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 के कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान किया गया।

ग—स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयन बैठक:- यह बैठक स्वास्थ्य विभाग के साथ आयोजित किया गया। पूरे वर्ष में 3 बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में BPM, BCPM, MOIC, HEO आदि शामिल रहे। बैठक का उद्देश्य 1098 के विषय में लोगों को जानकारी देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक बच्चों की पहुँच सुनिश्चित कराना रहा।

घ—बालिका सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान:- यह अभियान जनपद स्तरीय महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर किया गया। अभियान का उद्देश्य किशोरियों, बच्चों, अग्रणीय सरकारी कार्यकर्ता, पी0आर0आई0, स्वास्थ्य विभाग व अन्य हितभागियों तक बालिका सुरक्षा की बात को पहुँचाना तथा साथ ही साथ चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 व महिला हेल्प लाईन 181 की सेवाओं से अवगत कराते हुए अभियान को सफल बनाना था।

च—जागरूकता हेतु बी0सी0सी0:- इस गतिविधि के अन्तर्गत प्रचार प्रसार हेतु चाईल्ड हेल्प लाईन की सेवा 1098 के बारे में जागरूक करने हेतु पम्पलेट्स का वितरण किया गया। साथ ही साथ 05 ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन का कार्य किया साथ ही साथ कोमल मूवी को बच्चों को दिखाकर भी बच्चों, अभिभावकों व अन्य हितभागियों के बीच जागरूक फैलाने का कार्य किया गया।

छ—समन्वयन व नेटवर्किंग:- श्रम दिवस 01 मई के अवसर पर 1098 के प्रचार-प्रसार तथा बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास को लेकर स्कूल के बच्चों के साथ रैली आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का काग्र किया गया।

ज—चाईल्ड लाईन दोस्ती सप्ताह का आयोजन- चाईल्ड लाईन दोस्ती सप्ताह का आयोजन संस्थान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न 7 गतिविधियों का संचालन किया गया:-

- 1—समुदाय, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य हितभागियों के साथ सुरक्षा बंधन कार्यक्रम का आयोजन
- 2—बच्चों के साथ खेल व पैंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन
- 3—बच्चों के साथ पतंग प्रतियोगिता का आयोजन
- 4—हस्ताक्षर अभियान
- 5—विद्यालय के बच्चों के साथ रैली
- 6—समुदाय के साथ चाईल्ड लाईन सेवा को लेकर बैठक
- 7—सामाजिक सौहार्द को लेकर सहभोज कार्यक्रम

झ—ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के साथ बैठक:- बाल विकास संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर व ग्राम स्तर तक बाल कल्याण समितियों का गठन किया गया है। संस्थान द्वारा बाल कल्याण समितियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।



ट— बाल विवाह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम:—बाल विवाह को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। उ० प्र० सरकार बाल विवाह को लेकर काफी संवेदनशील है। संस्थान द्वारा इस क्रम में २ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को देर से विवाह करने के लिए प्रेरित किया गया।

३— किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम:—यह कार्यक्रम ब्रेकथू ट्रष्ट के सहयोग से जनपद—महराजगंज के विकास खण्ड—नौतनवा, लक्ष्मीपुर, बृजमनगंज व मिठौरा विकास खण्ड के ७७ ग्राम पंचायतों २२००० किशोर—किशोरियों को उनके जीवन कौशल तथा मानवाधिकार व जेण्डर को लेकर कार्यक्रम संचालित किया गया। यह कार्यक्रम दो प्रकार की रणनीति पर आधारित रहा—

क—स्कूल आधारित:—इसके अन्तर्गत कुल ०४ विकास खण्ड के १०५ स्कूलों में कक्षा—७ व ८ के किशोर किशोरियों के साथ निम्न गतिविधियों संचालित की गई—

- ❖ तारों की टोली किताब के माध्यम से किशोर व किशोरियों को प्रशिक्षित करना
- ❖ किशोरी मेला का आयोजन कर किशोरियों को सशक्त बनाना
- ❖ थियेटर दि आप्रेस्ट टीम द्वारा प्रदर्शन
- ❖ अध्यापक को स्वयंसेवक (घुवतारा) के रूप में तैयार कर उनके माध्यम से प्रशिक्षण की शुरुआत करना

ख— समुदाय आधारित:—समुदाय स्तर पर स्पाटवाईज किशोर—किशोरियों का संघ विकसित कर उनके साथ निम्न लिखित गतिविधियों का संचालन किया गया—

- ❖ तारों की टोली किताब के माध्यम से किशोर व किशोरियों को प्रशिक्षित करना
- ❖ विडियो वैन का संचालन थियेटर दि आप्रेस्ट टीम के साथ
- ❖ स्थानीय मुददों पर हाईपर लोकल कैमपेन
- ❖ महिलाओं का नारी—संघ तथा पुरुषों का किसान संघ का गठन कर बदलाव के प्रेरक के रूप में स्थापित करना।
- ❖ ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस के माध्यम से किशोर व किशोरियों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिलाना

४—लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम:—यह परियोजना जनपद—महराजगंज में संचालित है। इस परियोजना के अन्तर्गत कुल ५५० महिला यौन कर्मी तथा २५० पुरुष यौन कर्मी, १००जी०—१५० तथा १०० आईडी यूजर्स का लक्ष्य निर्धारित था। लक्ष्य के सापेक्ष ६२५ महिला यौन कर्मी तथा २९४ पुरुष यौन कर्मी, १७७ टी०जी० तथा ९४ आईडी यूजर्स के साथ हस्तक्षेप किया गया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों संचालित की गई—

- ❖ अति जोखिम पूर्ण समूह का चिन्हांकन
- ❖ परामर्श सेवाएं
- ❖ प्रत्येक ३ माह पर आर०एम०सी० व प्रत्येक ६ माह पर एच०आई०वी० की जॉच सुनिश्चित कराना
- ❖ समुदाय आधारित स्क्रीनिंग
- ❖ कण्डोम, निडिल सीरिज एवं ल्यूब्स वितरण
- ❖ कम्यूनिटी इवेण्ट
- ❖ स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से संक्रमण जॉच
- ❖ वन टू वन एवं समूह के साथ सम्पर्क
- ❖ ड्राप इन सेन्टर की सेवा

उपरोक्त गतिविधियों के माध्यम से निम्न परिणाम सामने आये—

- ↪ ६ एच०आई०वी० पाजीटिव महिला यौन कर्मी में खोजे गये
- ↪ १२ एच०आई०वी० पाजीटिव पुरुष यौन कर्मी में खोजे गये
- ↪ ३ एच०आई०वी० पाजीटिव टी०जी० में खोजे गये
- ↪ सभी २१ एच०आई०वी० पाजीटिव को ए०आर०टी० लिंक कराया गया
- ↪ संक्रमण की जॉच व पहचान हो सकी



७ अति जोखिम पूर्ण समूह के लोगों में संक्रमण से बचाव से सम्बन्धित आचार व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन

5-लिंक वर्कर परियोजना:- संस्थान द्वारा एच०आई०वी०/एड्स की रोकथाम को लेकर इस परियोजना का संचालन जनपद कुशीनगर में किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत जो प्रयास किये गये उसका विवरण इस प्रकार है :-

क-अति जोखिम पूर्ण समूह को सूचीबद्ध करना- कुल 13309 परिवारों को सूचीबद्ध किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है, इसका विवरण निम्नवत् है:-

HRG- इसके अन्तर्गत महिला यौन कर्मी, IDUs, MSM तथा TG को मिलाकर कुल 146 चिन्हांकन किया गया।

प्रवासी- कुल 6632 प्रवासी परिवारों का चिन्हांकन किया गया।

PLHIV-52 ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित जो एच०आई०वी० पाजिटिव को चिन्हांकित किया गया।

ANC-1872 गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर उनका फालो-अप किया गया।

TB मरीज-143 मरीजों का चिन्हांकन कर उनका फालो-अप किया गया।

अन्य वर्ग-4464 ऐसे परिवार का चिन्हांकन किया गया है, जो उक्त जोखिमपूर्ण समूह के परिवार या साथी हैं।

ख-समुदाय के साथ जगरूकता बैठकों का आयोजन- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 39 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 590 लोगों ने सहभागिता किया।

ग-गृह भ्रमण:- परियोजना के अन्तर्गत कुल 11693 परिवारों के साथ गृह भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

घ- वी एच एन डी में सहभागिता:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1164 वी०एच०एन०डी० कार्यक्रमों में सहभागिता करके एच०आई०वी० की जॉच सुनिश्चित कराई गई।

च- पी०एल०एच०आई०वी० की देख रेख- 52 एच०आई०वी० पाजिटिव की देख रेख कर ए०आर०टी० से लिंक कराकर सेवा प्रदान करने का काम किया गया।

छ- सी०वी०एस० के माध्यम से एच०आई०वी० की जॉच- सी० वी० एस० जॉच के माध्यम से कुल 3265 एच०आई०वी० जॉच कराया गया।

ज- स्वास्थ्य शिविर का आयोजन- कुल 16 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 1295 लोगों को लाभान्वित कराया गया।

झ-जनपद स्तरीय सेवादाताओं/संगठनों के साथ समन्वयन:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 2 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 153 व्यक्तियों ने सहभागिता किया गया।

6- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में नागर समाज संगठनों का सुदृढीकरण परियोजना:- यह परियोजना यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रायोजित रहा। इस कार्यक्रम में सहयोग चाईल्ड फण्ड इण्डिया द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में निम्न गतिविधियों का संचालन किया गया-

❖ **महिला किसान समूहों का गठन:-** इसके अन्तर्गत 15 ग्राम पंचायतों में कुल 60 महिला किसान समूहों का गठन किया गया, जिसमें कुल 1500 महिलाओं को जोड़ा गया है।

❖ **पंचायत प्रतिनिधियों व महिला किसान समूहों के साथ प्रशिक्षण:-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 04 प्रशिक्षणों के माध्यम से कुल 129 व्यक्तियों ने सहभाग किया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के बारे में बताया गया तथा समन्वयन स्थापित करने का कार्य किया गया।

❖ **सामाजिक आर्थिक अधिकार तथा प्रबन्धन कौशल विषय पर महिला किसान समूहों का प्रशिक्षण:-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला किसान समूहों के लीडरों के साथ 05 प्रशिक्षण किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 134 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में महिला किसानों को सामाजिक आर्थिक विकास तथा प्रबन्ध कौशल के विषय में जानकारी प्रदान किया गया।



- ❖ **अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन:-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला किसान समूहों के सदस्यों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 311 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में महिला किसान समूहों को महिला दिवस की प्रासंगिकता तथा महिला किसानों के अधिकार विषय पर जानकारी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्या श्रीमती अर्चना चन्द्रा जी उपस्थित रहीं।
- ❖ **मास अवेयरनेस कैम्पेन का आयोजन:-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में आम समुदाय को कार्यक्रम के विषय में जागरूकता प्रदान करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करने का कार्य किया गया। इसके अन्तर्गत कुल 02 मास अवेयरनेस कैम्पेन का आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 230 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया।

7—सुपोषण परियोजना—यह परियोजना विकास खण्ड मिठौरा के 11 ग्राम पंचायतों में 1065 महिला किसान परिवारों के साथ संचालित रहा। इस परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के पोषण को लेकर प्रयास किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला किसानों के माध्यम से जहाँ कृषिगत व गैर कृषिगत अभ्यास के माध्यम से आजीविका संवर्धन का काम कराया गया। साथ ही पोषण को लेकर बच्चों के साथ सरकारी प्रयासों के साथ गठजोड़ कराया गया। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार रहा:—

क्र०	गतिविधि	हस्तक्षेप	प्राप्त परिणाम
1	महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्बर्धन	56	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ कुल 1065 परिवारों को संगठित किया गया।
2	कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन	156	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ ऑंगनवाड़ी, आशा व समुदाय के साथ मिलकर देखभाल कर सभी बच्चों को सुपोषित किया गया। ⇒ 6 बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से सुपोषण तक पहुँचाया गया।
3	कीचेन गार्डन	200 परिवार	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ कुल 300 परिवारों में पोषण युक्त सब्जी प्राप्त हो सका जो खसतौर से महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास में सहायक रहा।
4.	मचान	4	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ संलग्न परिवारों में कम से कम 40000 रुपये का वार्षिक आय में वृद्धि हो सकी। ⇒ यह गतिविधि वन झाप मोर क्राप पर आधारित रही इसलिए इस गतिविधि ने जल संरक्षण में भी आनी भूमिका निभाई।
5	उद्यमिता विकास इकाई	3	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ झाड़ू निर्माण की एक इकाई को 11 महिलाओं के साथ प्रारम्भ किया गया था, जिसे स्थायित्व प्रदान करने हेतु विपणन नेटवर्क स्थापित करने का काम किया गया। ⇒ अगरबत्ती निर्माण की एक इकाई को 8 महिलाओं के साथ प्रारम्भ किया गया था, जिसको विपणन से जोड़ने का काम किया गया। ⇒ लहसुन के अचार के निर्माण की एक



			इकाई को 13 महिलाओं के साथ प्रारम्भ किया गया था, जिसका विपणन नेटवर्क स्थापित कराया जा रहा है।
--	--	--	--

8—कोविड-19 राहत कार्यक्रम:— यह कार्यक्रम जीव दया फाउण्डेशन के सहयोग से संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 257 परिवारों का विन्हाँकन किया गया था, जो कि कोरोना काल में भुखमरी की कगार पर पहुँच चुके थे। ऐसे समस्त परिवारों के लिए 30 दिन के राशन चावल,आटा,चना दाल,अरहर दाल,तेल,नमक,चीनी,मिर्च,हल्दी,सोयाबीन,आलू व प्याज का एक पैकेट तैयार कर घर-घर पहुँचाने का कार्य किया गया। इस राहत कार्यक्रम के माध्यम से कुल 257 वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक राहत सामग्री पहुँच सकी तथा लोग कोरोना के कहर से कुछ राहत महसूस कर सके।

संस्थान की आगामी रणनीति—संस्थान अपने विजन की प्राप्ति को लेकर निम्नलिखित प्रयास करेगी:-

- ❖ संस्थान अपने समस्त कार्यक्रमों का संचालन महिलाओं एवं बच्चों को केन्द्र में रखकर ही करेगी।
- ❖ संस्थान द्वारा अपने किये गये कार्यों को एक मॉडल बनाकर कार्यक्रम का स्वरूप प्रदान करेगी।
- ❖ अपने कार्यों का विस्तार गोरखपुर-मण्डल में करने हेतु प्रयास करेगी।
- ❖ संस्थान को क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किया जायेगा।
- ❖ संस्थान में अधिकार आधारित मुद्दों खासतौर से सरकारी योजनाओं पर आधारित हकदारी को लेकर कार्य करने हेतु एक सशक्त मॉडल का विकास किया जायेगा।
- ❖ ट्रान्स जेण्डर को लेकर अध्ययन करेगी तथा भविष्य में उनके मुद्दों को लेकर प्रयास करेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति वर्ष 2020-21

क्र०	पदाधिकरी/सदस्य	पद
1	बृजभूषण पाण्डेय	अध्यक्ष
2	डॉ दयानन्द	उपाध्यक्ष
3	सुनील कुमार पाण्डेय	सचिव
4	प्रद्युम्न पाठक	कार्यकारी सचिव
5	सुधीर कुमार	कोषाध्यक्ष
6	लक्ष्मी देवी	सदस्य
7	मीरा देवी	सदस्य

सुनील कुमार पाण्डेय

सचिव/मुख्य कार्यकारी

सृष्टि सेवा संस्थान, उ०प्र०, भारत

